न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश, प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–290/2008

मृतक पारस राम के विधिक वारिसान एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरि यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
16.08.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 26.07.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 हरि यादव की मृत्यु दिनांक 29.04.2024 हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–01 हरि यादव के विधिक वारिसानों के रूप में अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी, एक पुत्र एवं दो पुत्री को छोड़कर मरे है तथा मृतक के पुत्र शत्रुध्न यादव पूर्व से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–02 है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–01 हरि यादव का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 हरि यादव की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया है। अतः वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 26.07.2024 स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–01 हरि यादव का नाम	

<u>न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश, प्रथम, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–290/2008</u>

मृतक पारस राम के विधिक वारिसान एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरि यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 16.08.2024	कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों में उनकी विधवा पत्नी एवं दोनों पुत्रियों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 20.09.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	